क्रम-संख्या–194

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 2025
अग्रहायण 14, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग–2

संख्या 205/24-पी–2–2025

लखनऊ, 4 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

आदेश

प0आ0–205

चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1–उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 2–उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ, 3–उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 4–कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 5–मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, 6–पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, 7–पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ, 8–दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा और 9–UP Renewable & EV Infrastructure Ltd. लखनऊ के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

आज्ञा से,
राजकुमार,
विशेष सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 205/XXIV-P-2–2025**,** dated December 4, 2025 :

No. 205/XXIV-P-2–2025

Dated Lucknow, December 4, 2025

WHEREAS, the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the *Gazette,* strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 4. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 5. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 6. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 7. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 8. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra, and 9. UP Renewable & EV Infrastructure Ltd. Lucknow.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the Section 3 of the said Act that this order shall be published in the *Gazette.*

By order,
RAJKUMAR,
Vishesh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 266 राजपत्र–2025–(784)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 13 सा0 ऊर्जा–2025–(785)–250 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

266 RPH 2025 (Urja Anubhag-2) Data 4e